न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधि0, संख्या–1, श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुनिल रणवाह

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील (जमानत प्रा0पत्र) सं0: 02/2019

(CIS No.02/2019)

देव नायक पुत्र श्री दिनेश जाति नायक उम्र 11 वर्ष निवासी गली नं0 8, गुरूनानक बस्ती, श्रीगंगानगर (राज0) जरिये पिता दिनेश पुत्र श्री बिहारी लाल जाति नायक निवासी गली नं0 8, गुरूनानक बस्ती, श्रीगंगानगर (राज0)।

.....प्रार्थी/अपीलार्थी

विरूद्ध

राजस्थान राज्य ..... अप्रार्थी

अपील (जमानत प्रा0पत्र) अ0 धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 262/2018
पुलिस थाना महिला, श्रीगंगानगर।
अपराध अ0 धारा 354 भा0दं0सं0 व धारा 9 (एम)/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

उपस्थिति :

1. श्री रोहताश यादव, अधिवक्ता– अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री बनवारी लाल कड़ेला, विशिष्ट लोक अभि0–राज0 राज्य की ओर से ।

आदेश दिनांकः 03.01.2019

1. अपीलार्थी देव नायक बाल अपचारी की ओर से उसके प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री दिनेश द्वारा शीर्षक में अंकित मामले में जमानत हेतु यह अपील (जमानत प्रार्थना पत्र) दिनांक 24.12.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील (जमानत प्रार्थना पत्र) की प्रति विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम किशोर न्याय बोर्ड, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.12.2018 को अस्वीकार किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.12.2018 को परिवादी (पीड़ित बालिका के पिता) ने पुलिस थाना महिला, श्रीगंगानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट इन तथ्यों की दर्ज करवाई कि वह अपनी बच्ची के ईलाज के लिए जुबीन अस्पताल, श्रीगंगानगर आया हुआ है तथा उसके सामने सुखाड़िया शॉपिंग

सेन्टर में कमरा किराये पर लेकर परिवार सहित रहता है तथा कंगन पैलेस के पास अंडे की रेहड़ी लगाता है। उसके पास एक देव नाम का लड़का काम करता है जो कि गुरूनानक बस्ती में रहता है। दिनांक 17.12.2018 को 3:30 बजे वह बाजार गया हुआ था तो पीछे से लड़का देव उसकी 14 माह की बच्ची जो घर में खेल रही थी, को खिलाने के बहाने छत पर ले गया। जब उसकी बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उसकी पत्नी ने छत पर जाकर देखा तब देव उसकी बच्ची के कपड़े उतारकर उसके अंगों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यदि उसकी पत्नी समय पर बच्ची को नहीं संभालती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। उसकी पत्नी ने उसे डांटा तो देव बच्ची को छोड़कर भाग गया आदि आदि...। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 262/2018 दर्ज की जाकर अनुसंधान के दौरान अपीलार्थी/बाल अपचारी को दिनांक 19.12.2018 को निरूद्ध किया गया है जो वर्तमान में बाल सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध है। किशोर न्याय बोर्ड, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 दिनांक 21.12.2018 को अस्वीकार कर दिये जाने पर जमानत हेतु यह फौजदारी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील/जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अपीलार्थी स्वयं 12 वर्ष से कम आयु का बालक है तथा आरोपित अपराध करने में पूर्णतः असक्षम है। अपीलार्थी गिरफ्तारी के रोज से निरूद्ध है। अभी मामले की जांच व विचारण में समय लगेगा, उसके अधिक दिन तक बाल सम्प्रेक्षण गृह में रहने से उसके चरित्र व भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बाल अपचारी को जमानत पर रिहा करने से उसके किसी ज्ञात या अज्ञात अपराधी के संसर्ग में आने की कोई संभावना नहीं है तथा न ही ऐसे किसी अपराध की ओर अग्रसर होने की संभावना है। अभी मामले की जांच/विचारण में समय लगेगा अतः उसे उसके प्राकृतिक संरक्षक पिता की संरक्षकता में जमानत पर आजाद किया जावे।

5. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी बाल अपचारी के विरूद्ध 14 माह की मासूम बालिका पर लैंगिक आशय से गुरूत्तर लैंगिक हमला करने का अभियोग है। इस स्तर पर उसे

जमानत पर संरक्षक को सुपुर्द किये जाने पर उसके ज्ञात व अज्ञात आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों के सम्पर्क में आने तथा इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इस मामले में अपीलार्थी/बाल अपचारी को जमानत का लाभ दिया जाना उसके भावी जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

6. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलार्थी/बाल अपचारी के विरूद्ध परिवादी की करीब 14 माह की बालिका पर लैंगिक आशय से गुरूत्तर लैंगिक हमला किये जाने के अपराध का अभियोग लगाया गया है। पीड़ित बालिका की माता ने अपने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के कथनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किये हैं कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसने नीचे से आवाज देकर पूछा कि देव क्या हुआ तो देव ने कोई जवाब नहीं दिया जिस पर वह देव व बच्ची के पीछे छत पर गई तो देव बच्ची को बाथरूम में लेकर बैठा था व बच्ची के कपड़े उतार रखे थे व बच्ची के अंगों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। केस डायरी पर उपलब्ध अपीलार्थी की पूछताछ रिपोर्ट में उसने यह बताया है कि वह पीड़ित बालिका को छत पर खिलाने के लिए ले गया, छत पर उसके हाथ से बालिका की पैन्टी (पोतड़िया) उतर गई तब वह रोने लगी तो इतने में परिवादी की पत्नी भी छत पर आ गई व उससे पोतड़िया उतरने का कारण पूछा व उसके थप्पड़ मारे तो वह डरता भागने लगा और फिर परिवादी की पत्नी शोर मचाने लगी कि देव ने उसकी अबोध बच्ची के साथ गलत काम किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी की आयु के संबंध में एकत्र रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी की जन्म दिनांक 30.07.2007 है जिसके अनुसार अपराध घटना के दिन अपीलार्थी स्वयं 12 वर्ष से कम आयु का बालक है। अभी मामले में अनुसंधान लम्बित है, इस स्तर पर अपीलार्थी/बाल अपचारी के आशय की निश्चित परिकल्पना नहीं की जा सकती। अपीलार्थी/बाल अपचारी का कोई पूर्व में किसी अपराध में लिप्त होने का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है तथा इस मामले में उसे उसके प्राकृतिक संरक्षक को जमानत पर सुपुर्द किये जाने पर उसके ज्ञात व अज्ञात अपराधियों के सम्पर्क में आने अथवा अन्य अपराध की ओर अग्रसर होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः समस्त तथ्य परिस्थितियों के दृष्टिगत अपीलार्थी/बाल

अपचारी को इस मामले में उसके प्राकृतिक संरक्षक/पिता की संरक्षकता में जमानत पर सुपुर्द/रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपीलार्थी/बाल अपचारी देव नायक की ओर से उसके प्राकृतिक संरक्षक (पिता) द्वारा प्रस्तुत फौजदारी अपील (जमानत) अ0धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 स्वीकार की जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी के प्राकृतिक संरक्षक (पिता) द्वारा इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी/बाल अपचारी की नियमित रूप से उपस्थिति बाबत 50,000/–रूपये राशि का स्वयं का बंधपत्र व 25–25 हजार रूपये राशि की दो प्रतिभूति किशोर न्याय बोर्ड, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत करवा लेवे तथा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करे कि वह अपीलार्थी/बाल अपचारी की शिक्षा का समुचित प्रबंध करेगा तथा उसे ज्ञात व अज्ञात अपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों के ससंर्ग में नहीं आने देगा, तो अपीलार्थी/बाल अपचारी देव नायक को उसके प्राकृतिक संरक्षक (पिता) श्री दिनेश को जमानत पर सुपुर्द कर दिया जावे ।

(सुनिल रणवाह)

9. आदेश आज दिनांक 03 जनवरी, 2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनिल रणवाह)